

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 148]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 1 अप्रैल 2013—चैत्र 11, शक 1935

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2013

क्र. बी-4-04-2013-2-पांच(11).—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, पूर्व उच्चतर माध्यमिक तकनीकी विद्यालय, शहडोल के परिसर में की 12.713 एकड़ तथा झाबुआ जिले में ग्राम कल्याणपुरा की शासकीय सर्वे नं. 556/1 की 8 हैक्टर भूमि के, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल की एक घटक संस्था, यूनिवर्सिटी इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना के लिये, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल के पक्ष में निष्पादित किये जाने वाले हस्तांतरण विलेख कर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. आर. कुरैशी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2013

क्र. बी-4-04-2013-2-पांच(11).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ बी-4-04-2013-2-पांच(11), दिनांक 1 अप्रैल 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. आर. कुरैशी, उपसचिव.

Bhopal, the 1st April 2013

No. F-B-4-04-2013-2-V (11).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899), the State Government, hereby, remits the stamp duty chargeable

on deed of conveyance of 12.713 acre land in the campus of former Higher Secondary Technical School, Shahdol and 8 hectares land of Government Survey No. 556/1 of village Kalyanpura in Jhabua District in favour of Rajeev Gandhi Technical University, Bhopal for establishment of University Institute of Technology, a constituent institution of Rajeev Gandhi Technical University, Bhopal.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
A. R. QURESHI, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2013

क्र. बी-4-04-2013-2-पांच(12).—रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) की धारा 80-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, पूर्व उच्चतर माध्यमिक तकनीकी विद्यालय, शहडोल के परिसर में की 12.713 एकड़ तथा झाबुआ जिले में ग्राम कल्याणपुरा की शासकीय सर्वे नं. 556/1 की 8 हैक्टर भूमि के, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल की एक घटक संस्था, यूनिवर्सिटी इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना के लिये राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल के पक्ष में निष्पादित किए जाने वाले हस्तांतरण विलेख कर प्रभार्य रजिस्ट्रीकरण फीस से छूट प्रदान करती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. आर. कुरैशी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2013

क्र. बी-4-04-2013-2-पांच(12).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ बी-4-04-2013-2-पांच(12), दिनांक 1 अप्रैल 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. आर. कुरैशी, उपसचिव.

Bhopal, the 1st April 2013

No. F-B-4-04-2013-2-V (12).—In exercise of the powers conferred by Section 80-B of the Registration Act, 1908 (No. 16 of 1908), the State Government, hereby, remits the Registration Fees chargeable on deed of conveyance of 12.713 acre land in the campus of former Higher Secondary Technical School, Shahdol and 8 hectare land of Government Survey No. 556/1 of village Kalyanpura in Jhabua District in favour of Rajeev Gandhi Technical University, Bhopal for establishment of University Institute of Technology, a constituent institution of Rajeev Gandhi Technical University, Bhopal.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
A. R. QURESHI, Dy. Secy.